न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी, जिला– सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री नवरत्न कोली, आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक
02/2020	अपील	03.02.2020	15.11.2021

मंगडया पुत्र छाज्या बागरिया, निवासी मच्छीपुरा, तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर।

–अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, तलावडा तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाईमाधोपुर।

–रेस्पोन्डेण्ट

निर्णय **दिनांक:15.11.21**

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा नायब तहसीलदार, तलावडा उनवानी मुकदमा सरकार बनाम मगंडया मुकदमा नं0 131/19 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि पटवारी हल्का अमरगढ़ ने अपीलार्थी के विरूद्ध चरागाह भूमि खसरा नम्बर 842 रकबा 0.30 हेक्टर ग्राम मच्छीपुरा तहसील गंगापुर सिटी पर अतिक्रमण के संबंध में रिपोर्ट करने पर नायब तहसीलदार तलावडा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर व सूचना दिए बिना अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में एकतरफा निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी को 60 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड के साथ बेदखली व लगान की 50 गुणा राशि अर्थात 84/रूपये के अर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है जिसके व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

3. अपील मे आगे निवेदन किया है कि यह अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की अनुपस्थिति में बिना अपीलार्थी को सुने दिया गया है जो न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत है तथा निरस्त होने योग्य है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रकरण की अपीलार्थी को कोई जानकारी नही थी क्योकि पटवारी हल्का ने कभी अपीलार्थी को इस सन्दर्भ में अवगत नही कराया कि अपीलार्थी द्वारा किसी सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलार्थी को कोई जानकारी नही थी परन्तु अचानक दिनांक 16.01..2020 को पुलिस वाले अपीलार्थी के घर आए तथा कहा कि उप तहसील तलावडा से अपीलार्थी के गिरफ्तारी वारण्ट है, अपीलार्थी उस समय बाहर गया हुआ था, दूसरे दिन अपीलार्थी आया तो उसें इसकी जानकारी घर वालों ने दी। इस पर अपीलार्थी दिनांक 17.01.2020 को तुरन्त उपतहसील तलावडा गया तथा इस संबंध मे जानकारी की तो पता चला कि अपीलार्थी के विरूद्ध खसरा नम्बर 842 रकबा 0.30 हेक्टर ग्राम मच्छीपुरा मे चरागाह भूमि ग्राम मच्छीपुरा पर कब्जा करने का मुकदमा हैं जिसकी नकल हेतु प्रार्थना पत्र अपीलार्थी द्वारा उसी दिन पेश किया व नकल उसी दिन प्राप्त की, तब सर्वप्रथम अपीलार्थी को निर्णय की जानकारी हुई। इस पर अपीलार्थी अपने वकील से मिले तो उन्होने कहा कि अपील करने पडेगी तथा भूमि पर से अपना कब्जा छोडना पडेगा। इस अपीलार्थी ने कहा कि मेरा भूमि पर कब्जा नही है। पटवारी से जानकारी करके यदि किसी सरकारी भूमि पर कब्जा है तो मैं कब्जा छोड दूँगा। अपीलीर्थी कभी सरकारी भूमि पर कब्जा नही करना चाहता है। उक्त अपील होने जानकारी से अन्दर मियाद पेश हैं। धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से पेश किया गया है। अपील की सुनवाई का अधिकार न्यायालय हाजा को है। अन्य उज्रात बरवक्त बहस जुबानी अर्ज किए जावेगें।

4. अपीलार्थी ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार कर निर्णय नायब तहसलीदार, तलावडा दिनांक 29..08.2019 को निरस्त फरमाया जावें।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोन्डेण्ट जरिए नोटिस की गई एवं मिसल अदालत मातहत तलब की गई। रेस्पोन्डेण्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही।

6. बहस वकील अपीलार्थी सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने एकपक्षीय बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए कहा है कि अपीलार्थी का वर्तमान में कोई अतिक्रमण नही है। उसने अतिक्रमण छोड दिया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

7. हमने अपील तथा मिसल अधीनस्थ न्यायालय का आद्योपान्त सूक्ष्म अवलोकन व मनन किया। वकील अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस पर भी सूक्ष्म रूप से मनन किया।

8. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम को हम न्यायहित मे स्वीकार करते है। हमने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का भी समग्र अवलोकन किया। अपील अपीलार्थी इस शर्त पर स्वीकार किया जाना उचित समझते है कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयताओं को राजकोष में नियमानुसार जमा करवायेंगा तथा इस आशय का शपथ पत्र नायब तहसीलदार तलावडा को पेश करेगा कि वह भविष्य मे कभी किसी सरकारी भूमि/सम्पत्ति पर अतिक्रमण नहीं करेंगा। नायब तहसीलदार, तलावडा स्वंय मौके पर जाकर यह तस्दीक करेगा कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। इस निर्णय के पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थी यदि उक्त शर्तो की पालन करता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा का आदेश सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावें अन्यथा कथित आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध स्वतः ही जीवित माना जावें।

आदेश

अतः अपीलार्थी की अपील को इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि वह उस पर आरोपित शास्ति व अन्य सरकारी देयताओं को राजकोष में नियमानुसार जमा करवाएगा तथा इस आशय का शपथ पत्र नायब तहसीलदार, तलावडा को पेश करेगा कि वह भविष्य में कभी किसी सरकारी भूमि/सम्पत्ति पर अतिक्रमण नहीं करेंगा। नायब तहसीलदार, तलावडा स्वंय मौके पर जाकर यह तस्दीक करेगा कि अपीलार्थी ने प्रश्नगत भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तथा भूमि पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त हो चुकी है। है। इस निर्णय के पारित होने के 30 दिवस के अन्दर अपीलार्थी यदि उक्त शर्तो की पालन करता है तो अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तलावडा का आदेश सिविल कारावास की हद तक अपास्त माना जावें अन्यथा कथित आदेश अपीलार्थी के विरूद्ध स्वतः ही जीवित माना जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम होवें तथा निर्णय की एक प्रति एवं मूल मिसल संबंधित न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें।

यह आदेश आज दिनांक 15.11.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(नवरत्न कोली)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी(स0मा0)